न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 15/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी पांचला सिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर।		नायब तहसीलदार खींवसर।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 07.10.2024

{1}–मामले के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 73/2023 सरकार बनाम गजेन्द्र व अन्य में निर्णय दिनांक 09.01.2024 के तहत मौजा पांचला सिद्धा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.03.2024 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.01.2024 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि पांचला सिद्धा के खसरा संख्या 1292 रकबा 0.0613 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण बताकर भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस भेजा गया। अपीलांट की इस नोटिस पर कभी तामिल नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.01.2024 को अपीलांट के पीठ पीछे आदेश पारित कर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने तथा ग्यारह रूपये की शस्ति से दण्डित करने के आदेश पारित किये। दिनांक 04.03.2024 को तहसील के कर्मचारी मौके पर आये तथा अपीलांट को निर्णय की जानकारी दी तथा कहा कि सात दिन में अपीलांट को बेदखल किया जायेगा, जिस पर अपीलांट ने तहसील जाकर जानकारी कराई, तब अपीलांट को सर्वप्रथम पता चला कि अपीलांट की फर्जी तामील बताकर अपीलांट के पीठ पीछे 09.01.2024 को ही नायब तहसीलदार खींवसर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। जिस पर तत्काल निर्णय की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया गया तथा 07.03.2024 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई। 08.03.2024 से 10.03.2024 तक राज अवकाश होने से अपील पेश नहीं हो सकी। जिससे यह अपील को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अपीलाधीन निर्णय अवैध अनाधिकृत विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– नायब तहसीलदार ने जिस भूमि बाबत अपीलांट के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही की है वह भूमि व उसमें बना अपीलांट का मकान पांचला सिद्धा में आबादी क्षेत्र में बडेरों के समय का मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे का रहवासी मकान पांचला से थामडिया जाने वाली सडक से पूर्व दिशा में आया हुआ है, जिसमें अपीलांट का रहवासी मकान आया हुआ है जिसमें अपीलांट व उसका परिवार पीढियों से रहता चला आ रहा है। इस भूमि को रास्ते की भूमि बताने में नायब तहसीलदार व पटवारी ने कानूनी गलती की है।

{2}(III)– अपीलांट के इस बाडे और रहवासी मकान की भूमि पर कभी रास्ता नहीं रहा न आज दिन है वर्षों पहले अपीलांट के इस मकान व बाडे के आगे खुली जगह छोडकर कच्चा रास्ता था। जहां वर्तमान में कई वर्षों पहले सडक बन गई। इस सडक और अपीलांट के बाडे व मकान के बीच काफी चौडी खुली जगह पडी है। लोगों का व वाहनों का आवागमन इस सडक से होत है तथा अपीलांट के मकान बाडे से कोई रूकावट बाधा नहीं है। अपीलांट के मकान व बाडे के पास चिपते ही अन्य लोगों के मालिकाना हक की जगह में मकान वगैरा बने हुए है। मगर इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये वगैर अपीलाधीन निर्णय पारित करने से कानूनी गलती की है।

07/10/24

अपर कलक्टर, नागौर

(2)(IV)–आज से लगभग ग्यारह साल पहले भी अपीलाट के विरूद्व जिलाधीश नागौर को किसी ने झूटी शिकायत की तब ग्राम पंचायत ने वादग्रस्त भूमि अपीलाट व उसके पूर्वजो की बताई तथा बाडे व झोंपे पुराने बताये थे जिस पर अपीलाट के विरूद्व कार्यवाही समाप्त की गई थी। अपीलांट के भाई हरेन्द्र का मकान से कोई सरोकार स्वामित्व कब्जा नही होते हुए भी उसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही गलत की गई और इसी कारण से हरेन्द्र द्वारा अपील नही की गई।

(2)(V)–अपीलांट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुए। अपीलांट की तामिल फर्जी बताई गई है। अपीलाट के पीठ पीछे फर्जी तामील बताकर निर्णय पारित करने से भी अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

(2)(VI)– अपीलाट की फर्जी तामील बताकर कार्यवाही करने से अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एव जवाब पेश करने का अवसर प्राप्त नही हुआ तथा अपीलांट प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत से वंचित रहा। अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है।

(2)(VII)–वादग्रस्त भूमि कभी भी रास्ते की भूमि नहीं रही है। आर.आइ. व पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाई वह अपीलांट की गैर मौजूदगी मे तैयार की गई है तथा अपीलांट की मौजूदगी में कोई नाप जोप कभी नहीं किया गया ऐसी गलत झूठी एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

(2)(VIII)–वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पूर्वजों के समय से कब्जे मालिकाना हक स्वामित्व की रहती रही है तथा इस भूमि का अपीलांट के मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे का होने का प्रमाण पत्र जारी कर रखा है।

(2)(IX)–अपीलांट के मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे की आवासीय आबादी भूमि पर नायब तहसीलदार खींवसर को भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल के निर्णयों के अनुसार पट्टाधारी काबिज व्यक्ति के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकती। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही व निर्णय बिना क्षेत्राधिकार की होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 441 से 443, आरएलडब्लू 1995 (1)(एस.सी.) पेज 117 से 120, तथा अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 441 से 443, आरएलडब्लू 1995 (1)(एस.सी.) पेज 117 से 120, आरएलडब्लू 2009 (3) पेज 2195 से 2219 तथा आरएलडब्लू 2003 (4) एस.सी. पेज 509 से 522 तक नजीरे पेश की।(3) पेज 2195 से 2219 तथा आरएलडब्लू 2003 (4) एस.सी. पेज 509 से 522 तक नजीरे पेश की।

(3)–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा पांचला सिद्वा में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

(4)– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 73/2023 सरकार बनाम गजेन्द्र व अन्य में निर्णय दिनांक 09.01.2024 के तहत मौजा पांचला सिद्वा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2023 से ज्ञात होता है कि अपीलांट ने खसरा नम्बर 1292 किस्म गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

(5)– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

(6)– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/10/24

(चम्मालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर